सं.24/ 236/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 20 जून, 2014

सेवा में,

श्री लक्ष्मीशंकर सोनी,
C/o- श्री रामलाल सोनी,
निवासी- ग्राम- पचरास,
पो0 एंव तहसील- रानीगंज,
जिला-प्रतापगढ़,
उत्तरप्रदेश ।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 15.05.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु 1 एवं 2 में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 {भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम 2010 के साथ पठनीय} द्वारा विनियमित होता है, जो कि इस मंत्रालय के वेबसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। भारत के राज्य संप्रतीक का विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I, अनुसूची-II तथा अनुसूची-III मे विर्निदिष्ट कार्यालयों, प्राधिकारियों एंव प्रयोजनों तक निर्बंधित है। भारत के राज्य संप्रतीक का भवनों पर प्रदर्शन उक्त नियम के नियम 8 में वर्णित सरकारी भवनों तक निर्बंधित है । भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 के धारा 3 के अनुसार " तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति में, जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह सरकार से संबंधित है या यह कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसे वह सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रयोग नहीं करेगा ।" धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, " व्यक्ति " के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई भूतपूर्व कृत्यकारी भी है । भारत का राज्य संप्रतीक का अनुचित प्रयोग उक्त अधिनियम की धारा 3 (धारा 7 के साथ पठनीय) के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम पुलिस थाने में कर सकता है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन शाखा उक्त अधिनियम तथा नियम के अनुबंधों के अनुसार कार्यवाही करती हैं।

2. उक्त वर्णित अधिनियम तथा नियम कुल 16 पृष्ठ के हैं, यदि आप इनकी प्रति प्राप्त करना चाहता है तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹ 32/- (प्रति पृष्ठ ₹ 2/- की दर से) नकद भुगतान या बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो कि " लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय " के पक्ष में देय हो, इस मंत्रालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आपको उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सके ।

3. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रति, उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2014 की एक प्रति के साथः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

CR - 289062 / Dir(O&R)/ RTI MATTER/TIME BOUND

10/06

No.A-43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

*****

332

New Delhi, Dated the 5/6, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt/Kum...Lakshmi Shanker Soni.. under the Right to Information Act, 2005.

*****

This Ministry has received an application dated ..15/5../2014 under the RTI Act, 2005 from Shri/Smt/Kum...Lakshmi Shanker Soni.................................... (received on 3/6.../2014) by way of transfer from ..M/o Law & Justice.........................). As the requested information pertains to/is more closely related to the functions of ...Administration Division, the application is being forwarded to that Division for providing information. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

2. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- [to M/o Law & Jus] vide Receipt No. .... dated ....../.....2014 / copy enclosed / not paid the fee since he claims to/belongs to the Below Poverty Line (BPL) Category.

Encl: As above.

(V.K. Rajan)
Deputy Secretary (E) & CPIO.

To

Director (A&V)...............
Ministry of Home Affairs,
North Block/~~NDCC-II Building~~
New Delhi.

10/6/14

US(P)

10/6

Copy for information to:

Shri/Smt/Ms. Lakshmi Shanker Soni
Village - Pachras Post & Teh - Raniganj
Distt Pratapgarh (U.P.)
....
....

10/06

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority further information in the matter).

Ms. Vikash